न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 11/2013

सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर

.....**अप्रार्थी**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील ।
2. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 04.02.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.01.2013 को ग्राम पंचायत बघेरा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम बघेरा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 4805 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवंटित भूमि तालाब के पानी के भराव क्षेत्र में स्थित होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए, किन्तू जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में

Scanned by CamScanner

आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द करने हेतु हल्का पटवारी मौके पर पहुचा तो आवंटित भूमि तालाब के पानी के भराव क्षेत्र में स्थित होने के कारण आवंटित भूमि का कब्जा नहीं संभलाया जा सका। चूकिं विवादित भूमि तालाब के पानी के भराव क्षेत्र में स्थित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। ऐसी भूमि का किसी भी व्यक्ति को आंवटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार मौके की जांच करने के पश्चात मजमेआम में विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। उनका कथन है कि यदि भूमि तालाब के पानी के भराव क्षेत्र में स्थित होती तो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उनके पक्ष में भूमि आवंटन बाबत सिफारिश नहीं की जाती। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में बारानी–।। काबिल काश्त दर्ज है। उनका यह भी कथन है कि वरवक्त आवंटन स्वंय तहसीलदार केकडी मौके पर उपस्थित थे तथा आवंटन आदेश पर उनके स्वंय के हस्ताक्षर अंकित है। उन्हें तत्समय ही जांच करवानी आवश्यक थी। अब उनके द्वारा नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त नहीं करवाया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित भूमि तालाब के पानी के भराव क्षेत्र में स्थित है। ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। जिसका किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.01.2013 को ग्राम कणोज के खसरा नम्बर 4805 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **04.02.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner